स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

E-mail— apccfwl.prot@mp.gov.in, oicstsf.bpl@mp.gov.in

क्रमांक/STSF/ क्राईम/2025/ 342 भोपाल, दिनांक 28/02/2025

प्रति,

1. समस्त प्रभारी अधिकारी
2. समस्त विवेचना अधिकारी
3. समस्त सहायक विवेचना अधिकारी
   स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स,
   क्षेत्रीय इकाई, मध्यप्रदेश

विषय: - एसटीएसएफ से अपराध अन्वेषण एवं अन्य संबंधी कार्य हेतु जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) (कुल संख्या-07) के पालन के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1142 दिनांक 21.10.2020

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत अनुरोध है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के द्वारा वन्यजीव अपराध अन्वेषण एवं संबंधित कार्यवाही हेतु कुल 07 विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) गहन विचार उपरांत एवं वन्यजीव मुख्यालय से अनुमोदन उपरांत जारी की गई है। कालंतर में किसी अधिनियम/नियम/माननीय न्यायालय के दृष्टांत के पालन में उक्त उल्लेखित कार्यो के संपादन में एस.ओ.पी. के साथ-साथ अन्य कार्यवाही की जा सकती है। परन्तु विगत कुछ समय से कुछ प्रकरणों की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जारी एस.ओ.पी. का पालन नहीं किया जा रहा है तथा अपनी इच्छा अनुसार अपराध अन्वेषण संबंधी कार्यवाही की जा रही है जो कि अत्यंत खेद का विषय है। जिससे शासन का पक्ष भी प्रभावित हुआ। भविष्य में सक्षम स्तर से इस संबंध में मूल्यांकन भी किया जावेगा।

एस.ओ.पी में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि उसे उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अत: एस.ओ.पी पुन: संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया एस.ओ.पी. के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। एस.ओ.पी. का पालन नहीं किया जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

संलग्न : मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी. कुल संख्या-07)
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

28/02/25
(जितेन्द्र बंसल)
सहा. प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28/02/2025

पृ.क्रमांक/STSF/ क्राईम/2025/ 343
प्रतिलिपि-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।

28/02/25
सहा. प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-1.0

वन अपराध प्रकरणों में मांग की गई सी.डी.आर. संबंधी

- सी.डी.आर. आई.टी.एक्ट 2002 के अंतर्गत गोपनीय दस्तावेजों की श्रेणी में आता है, अतः इसका उचित संधारण व गोपनीयता बनाये रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः इसका दुरूपयोग अपराधिक कृत्य की श्रेणी में मानकर 3 साल की सजा का प्रावधान है।
- सी.डी.आर. हमेशा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी की मांग पर उनके कार्यालय को प्रदान की जावेगी।
- सी.डी.आर मांगकर्ता कार्यालय के एन.आई.सी. ई–मेल पर ही प्रदान की जावें।
- सी.डी.आर. दुरूपयोग न हो इसकी संपूर्ण जबावदारी सी.डी.आर. मांगकर्ता अधिकारी की होगी।
- सी.डी.आर. प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सी.डी.आर. वन/वन्यप्राणी अपराध में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों का ही मांगा जायें।
- सी.डी.आर. की मांग उपरांत संबंधित अधिकारी को यह विधिवत बताना आवश्यक है कि वास्तविक मोबाईन/सिम उपयोगकर्ता का नाम, निवास, स्थान आदि यह जानकारी 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मांगकार्ता कार्यालय में एक रजिस्टर का संधारण आवश्यक रूप से करें (प्रारूप संलग्न) दूरसंचार विभाग की एस.ओ.पी. अनुसार प्रत्येक 06 माह (01 जून 30 एवं 1 जुलाई से 31 दिसम्बर) में इस कार्यालय को सी.डी.आर. की जानकारी गोश्वारा प्रारूप में प्रस्तुत करें।
- यह जानकारी नियमानुसार सूचना के अधिकार में देय नहीं होगी।
- इस हेतु न्यायालय में साक्ष्य के रूप में 65बी का प्रमाण–पत्र दिया जाना सुनिश्चित करें।
- सी.डी.आर. की मांग उपरांत व उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर एक वर्ष के भीतर उसका विनष्टीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स (कक्ष–फॉरेस्ट सायबर सेल) के द्वारा टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर से मांगी गई समस्त सी.डी.आर. व अन्य दस्तावेज को प्रत्येक वर्ष में एक बार समीक्षा कर उसका विनष्टीकरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

(रवि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति प्रतिभा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-2.0

ऑपरेशन

- सक्षम अधिकारी के द्वारा दल गठन का आदेश
- पी.ओर.आर बुक
- सही स्थिति में चार पहिया एवं दो पहिया वाहन
- आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु स्थानीय पुलिस/वन विभाग को सूचना
- स्वतंत्र गवाह– स्थानीय पुलिस/वन विभाग/अन्य स्थानीय व्यक्ति
- प्रपत्र
  1 केस डायरी, 2 जप्तीनामा (MPFO(WL)-2016 3.जामातलाशी,
  4 गिरफ्तारी पंचनामा 5 परिवार को गिरफ्तारी सूचना 6 चेक लिस्ट। (41बी)
  7 अपराधिक रिकार्ड 8 Sampling Kit 9 First Aid Box
  10 एम.एल.सी. फार्म 11 समन्स धारा 50 (8) की तामिली प्रपत्र
  12 रिमाण्ड आवेदन फार्म 13 अन्य संबंधित प्रपत्र
- शासकीय फोन डायरेक्ट्री
- सर्च वारण्ट (आवश्यकतानुसार)
- कोरे पेपर, कार्बन, पेसिल, पिन, टेग, पेन
- हथकड़ी एवं रस्सी
- कैमरा/हैण्डिकैम (फुल चार्ज)
- दूरबीन एवं वायस रिकार्डर
- मोबाईल चेक डिवाइस
- फिंगर प्रिंट लिफ्टर
- मेटल डिटेक्टर (फुल चार्ज)
- स्पायी कैम एवं जी.पी.एस.
- प्रिंटर एवं लैपटॉप
- सुरक्षा हेतु शस्त्र एवं बेत
- टार्च।
- मोबाईल फुल चार्ज
- वर्दी

(रवि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति प्रतिभा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-3.0

अन्वेषण प्रक्रिया–दर्ज वाले प्रकरणों में

- सक्षम अधिकारी के द्वारा दल गठन का आदेश।
- मौका पंचनामा।
- मौका वन्यप्राणी अवयव जप्तीनामा।
- जप्त वाहन/औज़ार का जप्तीनामा।
- नजरिया नक्शा।
- प्रकरण दर्ज (पीओआर जारी करना)
- आरोपियों के कबूलियत बयान।
- कबूलियत बयान की विडियोंग्राफी।
- गिरफ्तारी पंचनामा।
- साक्ष्यों के कथन।
- समस्त कथन धारा 50(8), (9) के अंतर्गत लेखबद्व किया जाना।
- परिवार सूचना।
- निकटतम/संबंधित थाने में सूचना।
- मोबाईल जप्तीनामा।
- आवश्यकता अनुसार आरोपियों के कपड़े/नाखून/फिंगर प्रिंट का सेम्पल लेकर लैब भेजने की कार्रवाई।
- गिरफ्तार आरोपी विदेशी नागरिक हो तो विदेश मंत्रालय एवं उसके दूतावास को सूचित करें।
- विदेशी आरोपी का पासपोर्ट एवं इमीग्रेशन डिटेल निकाले
- फरार आरोपी/सरगना का लुकआउट सरकुलर जारी करवाना
- विदेशी फरार आरोपी हेतु इंटरपोल का रेडकार्नर नोटिस जारी करवाना।
- वन्यप्राणी अवयव सेम्पलिंग (Sampling) हेतु खोलने एवं बंद करने का पंचनामा।
- जप्त समस्त अवयव सील बंद कार्रवाई।
- वन्यप्राणी अवयव पहचान संबंधी विशेषज्ञ से प्रमाण–पत्र।
- आरोपियों का स्वास्थ परीक्षण/एमएलसी।
- चेक लिस्ट–सीआरपीसी 41(बी)
- जीवित वन्यप्राणी को प्राकृति रहवास में छोड़ने हेतु न्यायालय से अनुमति बावत आवेदन।
- वन्यप्राणी अवयवों को नष्ट करने हेतु न्यायालय से अनुमति का आवेदन।
- रिमाण्ड फार्म–मान. न्यायालय के समक्ष पेश। (गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर)
- फॉरेस्ट/पुलिस रिमाण्ड मिलने पर निगरानी दल नियुक्ति का आदेश।
- एफओसीआर नम्बर की प्राप्ती की कार्रवाई। (प्रकरण दर्ज से 48 घंटे की भीतर)
- विवेचना अधिकारी नियुक्त किये जाने का आदेश।
- जीवित वन्यप्राणी का स्वास्थ परीक्षण।
- जीवित वन्यप्राणी को प्राकृतिक रहवास में विधिवत छोड़ना।
- वन्यप्राणी अवयवों का नष्टीकरण, न्यायालय से अनुमति उपरांत, सक्षम वनाधिकारी की उपस्थिति में।
- आरोपी के सीडीआर हेतु आवेदन।
- अपराध के नजरिये से Suspected Bank Transaction Reportहेतु आवेदन।
- आरोपी का निवास स्थल के थाने से अपराधिक रिकार्ड प्राप्त हेतु आवेदन।
- आरोपी का निवास स्थल के परीक्षेत्र कार्यालय से वन्यप्राणी अपराधिक रिकार्ड हेतु आवेदन।
- आरोपी से घटना स्तर पर शिनाख्ती का पंचनामा।
- आरोपी की उपस्थिति में घटना स्थल से साक्ष्यों का एकत्रिकरण एवं जप्तीनामा।
- घटना स्थल की शिनाख्ती के समय डॉग स्क्वाड की उपस्थिति हेतु आवेदन।

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-3.0

अन्वेषण प्रक्रिया–दर्ज वाले प्रकरणों में

- जप्त समस्त वन्यप्राणी अवयवों को फॉरेन्सिक/हिस्टोपेथौलाजी लैब में भेजना।
- जप्त औजार/हथियार को फॉरेन्सिक/बेलास्टीक परीक्षण हेतु लैब में भेजना।
- जप्त मोबाईल को फॉरेन्सिक लैब मे भेजना।
- आवश्यकता अनुसार अरोपी का वॉयस सेम्पल लेना व फॉरेन्सिक लैब भेजना।
- आवश्यकता अनुसार आरोपी का हैण्डराईटिंग का सेम्पल लेना व फॉरेन्सिक लैब भेजना।
- आरोपी से अन्य सहआरोपियों की फोटो का शिनाख्तीकरण।
- आरोपी से अन्य सहआरोपियों/संदेही व्यक्ति का फोटो/स्केच बनवाना।
- फरार सहआरोपियों को समन्स धारा 50(8) की तामिली कार्रवाई।
- स्वतंत्र साक्षी/सहआरोपियों के धारा 164 में कथन की कार्राई, यदि आवश्यक हो तो।
- रिमाण्ड अवधि पूरे होने पर एमएलसी की कार्रवाई एवं न्यायालय में आरोपी को पेश करने की कार्रवाई।
- आवश्यकता अनुसार आरोपी/सहआरोपियों का पालीग्राफीक/लाई डिटेक्टर परीक्षण।
- फरार आरोपियों के विरूद्व मियादी/बेमियादी गिरफ्तारी वारण्ट की कार्रवाई।
- फरार आरोपियों की सम्पत्ति की कुर्की की कार्रवाई।
- जप्त वाहन की आरटीओ से मूल दस्तावेज प्रति प्राप्त करने की कार्रवाई।
- इलेक्ट्रोक्यूशन के प्रकरण में विद्युत लाईन ट्रिप की जानकारी संबंधित स्टेशन से लेना।
- इलेक्ट्रोक्यूशन के प्रकरण में जप्त तार का विद्युत मुलाईजा करवाना।
- आवश्यकता अनुसार आर्म्स एक्ट–1959 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाने की कार्रवाई।
- आवश्यकता अनुसार भारतीय दण्ड संहिता–1860के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाने की कार्रवाई।
- आवश्यकता अनुसार आईटी–2002 एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाने की कार्रवाई।
- आवश्यकता अनुसार Money Laundering act-2002के तहत कार्रवाई।
- आवश्यकता अनुसार आरोपी के फेसबुक/व्हाटसऐप/ई–मेल एकाउंट से साक्ष्य एकत्रिकरण की कार्रवाई।
- कॉल डिटेल रिकार्ड का अपराध में लिप्तता संबंधी गोशवारा प्रतिवेदन तैयार करना।
- समस्त डिजिटल साक्ष्यों हेतु 65बी का प्रमाण–पत्र।
- अपराध में लिप्त आरोपी व अन्य सहआरोपियों का समंबद्वता चार्ट (Flow/Relationship Chart)।
- समय–सीमा में परिवाद प्रस्तुतीकरण।
- समस्त जप्त सामग्री को Exhibitकराकर न्यायालय के मालखाने में जमा कराने की कार्रवाई।
- फॉरेन्सिक लैब से सेम्पलिंग को प्राप्त कर उसका उचित निर्वतन नियमानुसार करने की कार्रवाई।
- आरोपी का जमानत विरोधी आवेदन पत्र तैयार कर संबंधित न्यायायलय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई।
- आरोपी के जेल से छुटने के बाद निगरानी किये जाने की कार्रवाई।
- न्यायालय में लंबित प्रकरण की समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन।
- प्रकरण की सुनवाई में पेशी पर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कार्रवाई।
- प्रकरण में आवश्यकता अनुसार दोषमुक्ति/जमानत मिलने पर अपिल की कार्रवाई।
- आरोपियों के आधार कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी का एकत्रिकरण एवं आफेन्डर डेटा बेस में संधारण।

(रवि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति. प्रतिभा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-4.0

अन्वेषण प्रक्रिया–सहायता वाले प्रकरणों में

- दर्ज प्रकरण करने वाले वनमण्डल/टाइगर रिजर्व के सक्षम अधिकारी (वनमण्डलाधिकारी/क्षेत्र संचालक/मुख्य वन संरक्षक) का पत्र।
- वन्यप्राणी मुख्यालय का एसटीएसएफ को सहायता प्रदान करने की अनुमति संबंधी पत्र।
- वन्यप्राणी मुख्यालय/एसटीएसएफ द्वारा नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही।
- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र0 257 दि. 02.12.2015 से निर्देशित सक्षम जॉच/विवेचना अधिकारी की नियुक्ति हेतु नोडल अधिकारी द्वारा संबंधित वनमण्डल/टाइगर रिजर्व से पत्राचार।
- प्रकरण के विवेचना अधिकारी से चर्चा एवं केस डायरी काअध्ययन नोडल/सहायक नोडल अधिकारी द्वारा।
- प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु विवेचना अधिकारी को लिखित में नोडल/सहायक नोडल द्वारा निर्देश जारी करना।
- निर्धारित एस.ओ.पी. का पालन कर नोडल/सहायक नोडल द्वारा प्रकरण का अन्वेषण करवाना।
- प्रत्येक 15 दिवस के भीतर विवेचना अधिकारी से लिखित में प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त कर वन्यप्राणी मुख्यालय/एसटीएसएफ को नोडल अधिकारी के द्वारा प्रेषित करना।
- निर्धारित समय–सीमा में परिवाद प्रस्तुत करवाना।
- नोडल अधिकारी को यदि किसी प्रकरण में विवेचना अधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है तथा जिससे प्रकरण की विवेचना प्रभावित होती है तब विवेचना अधिकारी प्रथम बार विवेचना अधिकारी के नियंत्रणकर्ता अधिकारी को अवगत करावें तथा द्वितीय बार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के माध्यम से कार्यवाही करें तथा प्रकरण की गम्भीरता व समय–सीमा को देखते हुये आवश्यक परस्थिति का आंकलन कर सक्षम कार्यालय से अनुमति लेकर धारा 50(7) के अंतर्गत नोटिस तामिल की कार्यवाही की जावें।
- फरार आरोपियो के विरूद्व स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी होने के उपरांत प्रकरण कानोडल अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन वन्यप्राणी मुख्यालय एवं वन मुख्यालय को प्रेषित करना।

(रवि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति प्रतिभा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-5.0

वन अपराध प्रकरणों के खात्मा/खारिजीकरने की प्रक्रिया

- वन एवं वन्यप्राणी अधिनियमो मे प्रकरण के खात्मा/खारिजी संबंधित प्रावधान न होने से सी.आर.पी.सी. के प्रावधान अनुसार न्यायालयसे खात्मा/खारिजी करावें।
- न्यायालय में खात्मा/खारिजी संबंधी आवेदन पी.ओ.आर. की कालतीत अवधि में पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- खात्मा/खारिजी आवेदन न्यायालय में वनमण्डलाधिकारी/सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति लेकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- खात्मा/खारिजी हेतु आवेदन प्रस्तुत हेतु अधिकृत अधिकारीजॉच/वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वनक्षेत्रपाल से अनिम्न)
- प्रकरण में खात्मा/खारिजी आवेदन देने का कारण स्पष्ट हो।
- अद्यतन केस डायरी कार्यवाही तथा पी.ओ.आर., जप्ती, पंचनामा, कथन चिकित्सीय प्रतिवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजीकल रिपोर्ट एवं फॉरेन्सिक रिपोर्ट आदि।
- प्रकरण की विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण संलग्न करें।
- खात्मा/खारिजी आवेदन संबंधित न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी/विधिक सलहाकार से लिखित में अभिमत लेकर अनुशंसा होने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(रवि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति प्रतिभा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-6.0

वन अपराध प्रकरणों में सम्मन तामील करने की प्रक्रिया

- सम्मन निर्धारित प्रारूप में सुस्पष्ट (आरोपी का नाम, मोबाईल नम्बर, पता, धारा, दिनांक, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/सील, उपस्थिति दिनांक एवं कार्यालय) होना चाहिए।
- सम्मन तामील कराये जाने के लिए संबंधित क्षेत्र के वनाधिकारी, पुलिस अधिकारी को क्षेत्र के संवेदनशीलता के अनुसार साथ ले जायें।
- आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति के घर सूर्योदय के बाद एवं सूर्योस्त से पूर्व ही जाकर सम्मन तामील कराये एवं उसका पूरा नाम, आरोपी से संबंध तथा मोबाईन नम्बर जरूर पावती पर अंकित करें।
- प्रयास करना चाहिए कि सम्मन देते समय सम्मन प्राप्त कर रहा है फोटोग्राफ लें।
- अगर आरोपी के संबंधी सम्मन लेने से मना करें तब सम्मन को आरोपी के घर की दीवार पर चिपाकर उसकी फोटोग्राफ लें तथा पंचनामा तैयार करें।
- आरोपी से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाऐं एकत्रित करें।

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.

(रषि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति प्रतिभा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मानक प्रचालन प्रक्रिया(SOP)-7.0

कालातीत होने पर वन अपराध प्रकरणों संबंधी दिशा निर्देश

- वन अपराध प्रकरण के कालातीत होने पर, सी.आ.पी.सी.-470 के अंतर्गत प्रावधानों के तारतम्य में वनमण्डलाधिकारी / सक्षम अधिकारी प्रकरण में अपने स्तर से समीक्षा कर उचित कारण दर्शाते हुये संबंधित न्यायालय में आवेदन देकर, प्रकरण को अभियोजन हेतु न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर परिवाद प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- एफ.ओ.सी.आर. (वन अपराध पंजी) का संधारण करते हुये अद्यतन रखा जावें।
- प्रत्येक वनमण्डलाधिकारी / सक्षम अधिकारी अपने क्षेत्रों में दर्ज वन अपराध प्रकरणों के समय–सीमा में उचित कार्यवाही न हो पाने के कारण प्रकरण के कालातीत होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक हेतु समीक्षा करेंगें।

(रवि कुशवाह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, सागर

(इन्दर सिंह बारे)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, जबलपुर

(विजयेन्द्र सिंह)
वनक्षेत्रपाल
टीएसएफ, होशंगाबाद

(राजू सिंह राजपूत)
वनक्षेत्रपाल
एसटीएसएफ, भोपाल

(श्रीमति प्रतिमा अहिरवार)
प्रभारी, टीएसएफ
इन्दौर, मध्यप्रदेश

(रितेश सरोठिया)
प्रभारी, एसटीएसएफ
मध्यप्रदेश, भोपाल

(जे.एस. चौहान)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

It is only internal (STSF) purpose,
Do not use it in judicial court.